वर्ष: 02 अंक: 05

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - अक्टूबर - 2022

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 05 अक्टूबर 2022

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com
@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी मासिक पत्रिका के जरिए लोगों तक अहम जानकारियां पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। आयोग अभी तक सफलतापूर्वक सोलह अंक प्रकाशित कर चुका है। यह सत्रहवां अंक होगा। इस अंक में हमने आयोग द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, गंभीर मामलों में स्थलीय निरीक्षण, सोशल मीडिया के जरिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर मांगी गई रिपोर्ट को शामिल किया है। आयोग की कोशिश है कि इन सभी मामलों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचती रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी है। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:
011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:
https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

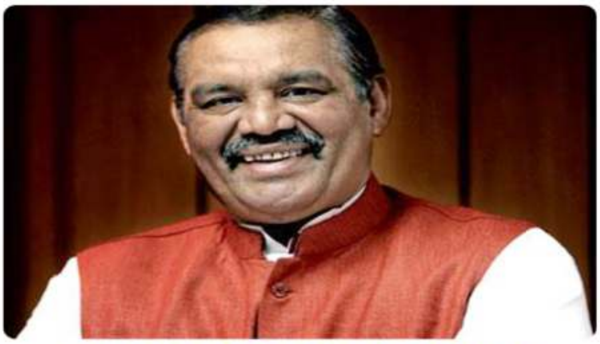

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI
MEMBER

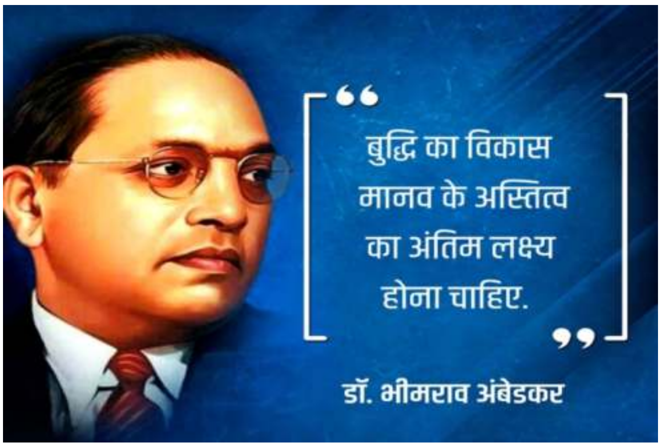

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

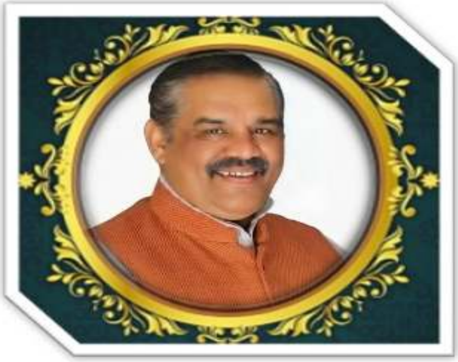

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के सत्रहवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई और सभी संभव प्रयास कर रहा है।

सितंबर माह में आयोग ने कई संस्थाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जोकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। इसके अलावा आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की कई घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं पर आयोग का एक दल घटना स्थल पहुंचा और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से मिली घटना की जानकारी पर संज्ञान लेते हुए भी नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

मासिक पत्रिका के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय-समय पर पहुंचती रही। आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण की आयोग ने की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (Mormugao Port Authority) की समीक्षा बैठक की। बैठक का नेतृत्व माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस समीक्षा बैठक में मुरगांव पत्तन प्राधिकरण व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस समीक्षा बैठक में पत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में यह समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है या नहीं।

आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 31 अक्टूबर 2022 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई। यह 6 नवंबर तक चलेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने आयोग के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह बड़े उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया जाता है। 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के महान कार्य को स्मरण करते हुए आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने शांति व बंधुत्व की भावना के साथ राष्ट्र की उन्नति हेतु शपथ ली। इस मौके पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया गया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन-जन में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। इस दौरान आयोग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

पलामू में घर तोड़कर भगाया, आयोग ने की जांच

झारखंड राज्य के पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुमातू गांव में 20 दलित परिवारों के डेढ़ दर्जन घर ध्वस्त कर दिए। बताया गया कि ज्यादातर घर मिट्टी और फूस के थे, जिनमें ये परिवार पिछले तीन-चार दशकों से रह रहे थे। दलितों ने घरों को ध्वस्त करने का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी गई। उजाड़े गए लोगों को गाड़ियों पर लादकर एक जंगल के पास छोड़ दिया गया। मीडिया में आई इस खबर पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल स्थलीय जांच के लिए मुरुमातू गांव पहुंचा। दल की अगुवाई माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने की। स्थलीय जांच के बाद जिला प्रशासन को अनुसूचित जाति के लोगों को पुनः उसी जमीन पर तब तक के लिए जब तक की जमीन के संबंध में विवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बसाई जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि जब तक अनुसूचित जाति के लोगों को पुनर्वास नहीं कर दिया जाता है तब तक उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से राशन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। घटना के प्राथमिकी नामजद शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया गया। पीड़ित परिवारों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि पुराने पते पर ही निर्गत करने के निर्देश दिए गए।

तेलंगाना में अत्याचार व उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में हुए अत्याचार व उत्पीड़न के बीस मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को उचित धाराओं के अंतर्गत पूर्ण न्यायिक जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष अरूण हालदार ने इन अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

बिहार राज्य में समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले का दौरा किया। यहां पर आयोग ने तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडल मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में अनुसूचित जाति संगठनों एवं अधकारियों के साथ अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

स्थलीय निरीक्षण

हरदोई में हुए दोहरे हत्याकांड पर आयोग की सख्ती, दिए जल्दी कार्रवाई के निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई दौरे के दौरान थाना बघौली के अंतर्गत ग्राम काईमऊ में हुए दोहरे हत्याकांड के संबंध में घटना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। आयोग ने घटना में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए परिजनों को आस्वस्त किया। इस दौरान जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे।

सीवर टैंक में हुई मौत, मौके पर पहुंचे उपाध्यक्ष

तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक प्राइवेट होटल के सीवर टैंक की सफाई करने उतरे तीन लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार के नेतृत्व में घटना स्थल का दौरा किया। माननीय उपाध्यक्ष ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15 लाख का मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

पीड़ित महिला को मिलेगा न्याय

उत्तर प्रदेश के मिश्रिख जनपद सीतापुर में महिला के साथ हुई मारपीट की घटना को आयोग ने बेहद गंभीर माना। संज्ञान लेते हुए माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने जिले का दौरा किया। यहां पहुंचकर माननीय सदस्या ने पीड़ित महिला के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त कर प्रशासनिक अधिकारीयों को दोषियों पर जल्द व सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

आयोग मुख्यालय में समस्याएं सुनीं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में लोगों की जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

खबरों में आयोग

NEWS / CITY NEWS / MUMBAI NEWS / Wankhede Harassed, Faces Bias, Stop Action Against Him: NCSC

Wankhede harassed, faces bias, stop action against him: NCSC

AHMED ALI / Oct 20, 2022, 08:04 IST

Mumbai: The National Commission for Scheduled Castes (NCSC), acting on Sameer Wankhede's complaint on Monday, issued the notices to Gyaneshwar Singh and the others on Tuesday.

Among those issued notices were the home ministry, the director general of Central Board of Indirect Taxes and Customs, and DG NCB.

"The petitioner (Wankhede) has met Hon. Chairman and discussed his case in detail. The commission has observed that there appears to be discrimination an harassment of the petitioner, therefore the commission has desired that no further action in the matter be taken till the pendency of the case in the commission," the NCSC notice said.

Neither Wankhede nor Singh were available for comments.

The NCB had conducted a vigilance probe into the conduct of some of its office after a special investigation team found the probe shoddy and gave a clean chit actor Shah Rukh Khan's son Aryan Khan. Aryan was picked up on October 2 last

Punjab Post-Matric Scholarship Scheme: NCSC seeks CAG probe into 'irregularities', may order judicial probe

The Commission has sought a panel of names of judges from the High Court

Ravi S Singh

Tribune News Service

New Delhi, October 20

Cheesed off by alleged "stone-walling" by the Punjab Government to probe by the National Commission of Scheduled Castes (NCSC) into the alleged scam in implementation of post-matric scholarship scheme for Scheduled Castes students, the latter has now recommended to Comptroller and Auditors General (CAG) to look into the matter.

Also, the Commission will get the matter investigated by a retired Judge of the Punjab and Haryana High Court.

जागरण

अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल सर… रिपोर्ट

आयोग ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

हरिभूमि

अनुसूचित जाति आयोग को डा. रमन का पत्र : मात्रात्मक त्रुटि को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला माहरा समाज का प्रतिनिधिमंडल

उन्होंने यह पत्र मात्रात्मक त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए लिखा है। डा. रमन सिंह का लिखा पत्र लेकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा माहरा समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे और अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा। पढ़िए पूरी खबर...

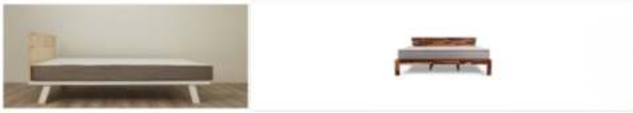

जागरण

होम ताजा राष्ट्रीय स्पेशल शेयर बाजार प्राइम न्यूज पॉलिटिक्स दुनिया

जागरण फोकस ▸ यशस्वी प्रधान T20 World Cup टॉप-डील्स संस्कारशाला विश्वास

बिहार: राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग … पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद कर… में क्या हुई कार्रवाई

JAGRAN NEWS
Publish Date: Mon, 03 Oct 2022 08:41 PM (IST)
Updated Date: Mon, 03 Oct 2022 08:41 PM (IST)

एसपी गौरव मंगला पर नवादा के नगर थाने में पांच पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने मामले में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में राष्… सवाल पूछा है।

राज्य ब्यूरो, पटना : नवादा के नगर थाने के पांच पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद… क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गृह विभाग से… विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी गई है। आयोग ने अपने पत्र में उ… अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग, सीआइडी द्वारा 14 सितंबर को दोषी पदा… करने का निर्देश दिया गया था, जिसका क्रियान्वयन लंबित रहने की सूचना… अवगत होना चाहता है। इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 21 दिनों के अंद… कहा गया है।

हरदोई: काईमऊ पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम, सदस्य डा.अंजूबाला ने की इस पीड़ित परिवार से मुलाकात

अमृत विचार · 06,October,2022, 9:05 pm

हरदोई, अमृत विचार। काईमऊ में होमगार्ड संतराम और उसकी पत्नी कैलाशा की गला रेत कर की गई हत्या के बारे में पड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डा.अंजूबाला पूरी टीम के साथ वहां पहुंची। उन्होंने संतराम के बेटों से बातचीत की और उन्हें हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने वारदात का जल्द खुलासा करने के लिए डीएम और एसपी की जमकर तारीफ की।

खबरों में आयोग

समाचार | प्रादेशिकी | अभिमत | विचार | मनोरंजन | विवि
छत्तीसगढ़ | मध्य प्रदेश | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | बिहार | हरियाणा

में पुल टूटने के हादसे पर मोदी ने जताया दुख || मोरबी हादसा : मुख्यमंत्री भूपेंद्र प

समीर वानखेड़े ने एनसीबी अधिकारी पर अनुसूचित जाति आयोग से की शिकायत

मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग मामले की जांच के बाद से चर्चा में आए आईआर खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की है

सम्बंधित खबर
- पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर 4 अधिकारी निलंबित
- भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप गलत : सुनील लोधी

नई दिल्ली। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग माम वानखेड़े ने एनसीबी अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह समीर वानखेड़े ने उनका उत्पीड़न करने क

जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े ने र इसमें उन्होंने एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर करते हुए समीर वानखेड़े ने बताया कि ज इसके बाद आयोग से शिकायत की गई है। सुनवाई शुरू की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक आयोग ने मामले की अपने आदेश में कहा है कि समीर वानखेड़े ने आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गृह मंत्रालय, सीबीआईटीसी बोर्ड और एनस उत्पीड़न हुआ है, इसलिए जब तक यहां मामला लंबित है। इसमें आगे कोई क

गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई वा डायरेक्टर को सौंपी है। जिसमें उन्होंने यह बताया है कि समीर वानखेड़े और किए गए आर्यन खान ड्रग्स केस में भारी अनियमितता बरती है। इस मामले में हैं।

जागरण | राज्य चुनें | Ep
राष्ट्रीय | स्पेशल | शेयर बाजार | प्राइम न्यूज़ | पॉलिटिक्स | दुनिया | मनोरंजन | बिजनेस | क्रिकेट | लाइ
जागरण फोकस ▸ यशस्वी प्रधान | T20 World Cup | टॉप-डील्स | संस्कारशाला | विश्वास न्यूज | वेब स्टोरीज

Gaya: अनुसूचित जाति योजना में पदाधिकारी दिलचस्पी ले जमीन पर उतारे, क्रियान्वयन नहीं होने पर असंतोष

JAGRAN NEWS
Publish Date: Wed, 12 Oct 2022 08:55 AM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Oct 2022 08:55 AM (IST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या डा. मंजू बाला की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त कार्यालय मे अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराए।

जागरण संवाददाता, गया : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या डा. मंजू बाला की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। सदस्या ने कहा कि प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति योजना के क्रियान्वयन कराने में पदाधिकारी

लोन नहीं मिलने से पिछड़ रहे अनुसूचित जाति के युवा : आयोग

बैंकों की ओर से लोन नहीं मिलने से अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से जुड़े युवक शिक्षा, रोजगार व उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर एससी/एसटी वर्गों को लोन देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, बैंक के स्तर से मुद्रा व स्टार्टअप आदि योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी वर्गों के छात्रों, युवकों व उद्यमियों की सुनी नहीं जा रही है। इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गहरी नाराजगी जाहिर की है।

आयोग के संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की। तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के अनुसूचित जाति के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए किये जा रहे काम व योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया। संबंधित जिलों के अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने को तीन दिन का समय दिया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का विद्यालयों में नामांकन, उच्चतर वर्ग में प्रवेश, छात्रवृत्ति राशि की जिलावार समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ, दलित महादलित टोलों में सम्पर्क पथ, बैंकों द्वारा इन वर्ग समूह को मिलने वाले ऋण आदि की समीक्षा में संयुक्त सचिव ने कहा कि योग्य पात्रों को लाभ पहुंचाएं। स्टैंडअप योजना, वन बैंक वन लोन के तहत ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिये

पीड़िता को डिस्चार्ज करने पर भड़कीं अंजू बाला

लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 12:07 AM IST

सीतापुर के जिला अस्पताल में पीड़िता के परिजनों से बातचीत करती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स... - फोटो : SITAPUR

सीतापुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉ. अंजू बाला एक पीड़िता से मिलने शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंचीं। महिला को गंभीर हालात में डिस्चार्ज करने पर वह भड़क गईं। डॉ. डीके गंगवार को जमकर फटकार लगाई। बोलीं आप एक अपराधी को बचाने के चक्कर में 20 को जन्म दे रहे हैं। सीएमओ को डिस्चार्ज मामले में जांच करने के निर्देश दिए। वहीं पीड़ित महिला का एक कमेटी बनाकर दोबारा मेडिकल करवाने की सख्त हिदायत दी।

मिश्रिख कोतवाली इलाके के ग्राम जशरथपुर के मजरा रामनगर निवासी राजरानी को कुछ दबंगों ने एक सप्ताह पहले घर में घुसकर मारापीटा था। इससे राजरानी को गंभीर चोटें आई थी। राजरानी ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से की थी। इस पर आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया। शुक्रवार को अंजू बाला पहले पीड़िता के घर जाना चाहती थीं। जब उनको पता चला कि महिला अस्पताल में भर्ती है तो वह सीधे जिला अस्पताल मिलने पहुंच गईं। इस दौरान महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जबकि वह ठीक ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। महिला को देखते ही उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बोलीं किस डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है तो डॉ. डीके गंगवार वहां पर मौजूद थे। इस पर गंगवार को जमकर फटकार लगाई। बोलीं आप जैसे लोग एक अपराधी को बचाने के चक्कर में 20 पैदा कर रहे हैं। सीएमओ डॉ. मधु गैरोला को तत्काल डिस्चार्ज मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

अंजू बाला ने बताया महिला ने शिकायत की थी सीएचसी मिश्रिख में सही ढंग से मेडिकल नहीं हुआ है। इस पर सीएमओ को फिर से तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर मेडिकल कराने की हिदायत दी। वहीं कुछ मरीजों ने अस्पताल की अव्यवस्था की शिकायत दर्ज कराई। जिस पर उन्होंने तत्काल इसे ठीक कराने की बात कही। इस दौरान मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एसडीएम मिश्रिख अनिल कुमार, सीएमएस डॉ. आरके सिंह सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।

एसपी से सीओ के प्रति जताई नाराजगी

इस पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस की तरफ से सही ढंग से कार्रवाई न होने की शिकायत की। इस पर अंजू बाला ने एसपी से मिलकर सीओ मिश्रिख की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जताई। इस पूरे मामले में गहनता से जांच करने की हिदायत दी। दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

चोटी मुद्दा उठा तो बोलीं होगी जांच

जिला अस्पताल में एक दिन पहले ही एक स्टॉफ नर्स की तरफ से एक महिला मरीज को चोटी पकड़कर बेड पर लिटाने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इस पर अंजू बाला ने कहा इस वीडियो को देखा है। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरे पास शिकायत आती है तो पूरे मामले की जांच करवाकर जरूर कार्रवाई करवाई जाएगी।

तमिलनाडु

3 की दम घुटने से मौत: एनसीएससी ने पुलिस को रिसॉर्ट मालिक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया

चेन्नई: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने बुधवार को कहा कि आयोग ने राज्य पुलिस को श्रीपेरंबदूर में रिसॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, जहां तीन दिन सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। पहले, 72 घंटे के भीतर। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए पुरुषों को शामिल करने के खिलाफ जागरूकता पैदा करनी चाहिए और यह कानून के खिलाफ है।

हलदर ने चेन्नई में मीडियाकर्मियों से कहा कि राज्य सरकार और सोशल मीडिया को इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए ताकि अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। इससे पहले दिन में उन्होंने रिसॉर्ट का दौरा किया और घटनाओं के संबंध में अधिकारियों से पूछताछ की।

उन्होंने शुक्रवार को रिसॉर्ट में सेप्टिक टैंक की पाइप लाइन में रुकावट की सफाई के दौरान तीन लोगों की मौत की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने कांचीपुरम जिला पुलिस को तीनों की मौत के मामले में रिसॉर्ट मालिक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।

आयोग के मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला प्रेस कॉन्फ्रैंस करते हुए

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003